न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–294 / 2018 (2018 / 00294)225 / किशनगढ़

1. पप्पू पुत्र भोपाल जाति कलाल निवासी ग्राम ढ़सूक तहसील अंराई जिला अजमेर व अन्य ।

अपीलांट

बनाम

1. कोमल पुत्री पप्पू
2. ज्योति पुत्री पप्पू
3. दीपक पुत्र पप्पू समस्त नाबालिक जरिये सरंक्षक प्राकृतिक माता श्रीमती सीमा देवी पत्नि पप्पू जाति कलाल निवासी ग्राम ढ़सूक तहसील अंराई जिला अजमेर।
4. श्रीमती हीरा देवी पत्नि भोपाल जाति कलाल ग्राम ढसूक तहसील अंराई जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अराई जिला अजमेर।
6. उप पंजियक, उप पंजियक विभाग, अराई जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 11.05.2018, प्रकरण संख्या 247 / 2017.</u>

उपस्थितः–

1. श्री सुण्डा राम जाट एड़वोकेट अपीलांट की ओर से।
2. श्रीपवन प्रकाश कुमावत एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 की ओर से।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 05 ,06 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 27.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 11.05.2018,प्रकरण संख्या 247 / 2017 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।
2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 89, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त ग्राम ढ़सूक तहसील अंराई स्थित भूमि खाता नया 179 पुराना 170के खसरा नम्बर 295 रकबा 08–07–00, खाता नया 180 पुराना 169 के खसरा नम्बर 306 रकबा 04–15–00, खसरा नम्बर 509 रकबा 02–19–00, खसरा नम्बर 509 / 1164 रकबा 00–08–00, खाता संख्या नया 266 पुराना 210 खसरा संख्या 305 रकबा 00–07–00 बीघा, खाता संख्या नया 267 पुराना 211 खसरा नम्बर 294 रकबा 00–18–00 बीघा है। उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी वादीगण की पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त आराजी पूर्व वादीगण के दादा भोपाल व प्रतिवादी संख्या 01, 02 के पति भोपाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। वादीगण भोपाल के पौत्र है इसलिए वादीगण का वादग्रस्त आराजी में जन्म से हित निहित है तथा अप्रार्थी संख्या 01, 02 ने प्रार्थीगण के हितो के विरूद्ध स्वंय के हिस्से से अधिक उक्त पैतृक भूमि का नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 20.06.1992 एवं नामान्तकरण संख्या 341 दिनांक 04.09.1997 अप्रार्थी संख्या 01 व 02 स्वंय के नाम तस्दीक करवा लिया है। जो प्रार्थीगण के अधिकारों पर विधिनुसार बेअसर एवं प्रभावहीन है। जबकि वादग्रस्त आराजी का आज दिन तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा नही हुआ है तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थीगण वाद

कारण सर्वप्रथम दिनांक 14.12.2017 को जब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का बंटवारा किये जाने इन्कार कर दिया तब वाद उत्पन्न हुआ। अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना की गयी कि प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि वह ताफैसला मूल वाद प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में अंकित वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थी संख्या 01 के हिस्से तक वादग्रस्त आराजी को किसी भी रूप में रहन, दान, बैचान, इकरार, अन्तरण आदि नहीं करे एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एव उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान उत्पन्न नहीं करें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष मे तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2018 को कैम्प ढ़सूक में बिना उभयपक्षकारों की उपस्थिति एवं बिना सुने बिना ही एक पक्षीय आदेश पारित किया गया कि प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 01 की संतान है व पत्नि है, अप्रार्थी संख्या 01 नशा पता करने का आदी होना बताता गया एवं अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष में अपनी सहमति व्यक्त की गई। अंत में दिनांक 11.05.2018 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 11.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 3 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं। तत्पश्चात अपील में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 अपीलांट को सुने बिना एक पक्षीय रूप से पारित किया गया। उक्त प्रकरण के कैम्प कोर्ट के नोटिस प्रार्थीगण द्वारा जानबूझ कर अप्रार्थी संख्या 01 को आज दिन तक नहीं भिजवाये गये है। अप्रार्थीगण ने उक्त आदेश की नकले प्राप्त की तब सर्वप्रथम अप्रार्थीगण को उक्त एक पक्षीय आदेश की जानकारी प्राप्त हुई। वादग्रसत आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 03 का मौके पर कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग नहीं है जबकि वादग्रस्त आराजी पर प्रारम्भ से आज तक अपीलार्थी की खातेदारी की आराजी है तथा अपीलार्थी रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपीलार्थी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त है एवं अपीलार्थी ही वादग्रस्त आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहा है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायायल ने रेस्पोडेन्टस का वादग्रसत आराजी पर कब्जा मान कर आदेश पारित करने में गंभीर विधिक त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी पर ऋण आदि प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इस कारण अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी की ठीक ढंग से देखभाल एवं खेती बाड़ी नहीं कर पा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है इसलिए आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित है यदि अपीलार्थी के स्वंय की खातेदारी कृषि भूमि से सम्बन्धित उक्त प्रकरण को गुणावगुण (मेरिट) पर नहीं किया जाता है तो अपीलार्थी के हितो पर गंभीर दुरगामी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए अपील प्रस्तुती में हुए सद्भाविक विलम्ब क्षमा किया जाना उचित आवश्यक एवं न्याय संगत हैं । न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 11.05. 2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें तथा अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर दिया

जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का पुनः निस्तारण किया जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में आर.आर.टी. 2017(2) पेज 907, आर. आर.टी. 2014(1) पेज 523, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 633, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 560, आर.आर.टी. 2016(2) पेज 1323, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 364, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1301, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 692, आर. आर.टी. 2018(1) पेज 405, आर.आर.टी. 2014(2)(हाई कोर्ट) पेज 1417 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने दौरान बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 01, 02 को लोक अदालत हेतु नोटिस जारी किये गये थे तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने लोक अदालत में प्रार्थीगण के पक्ष में सहमति दी। इस प्रकार अपीलांट का यह कहना की अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने आदेश पारित किया गलत है। विवादित आराजी पैतृक है इसलिए प्रार्थीगण का जन्म से हित निहित है। अप्रार्थी संख्या 01, 02 द्वारा अपने हिस्से से अधिक भूमि को अपने दर्ज करवा ली है और अपने से अधिक हिस्से की भूमि का बेचान करने पर आमादा है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 से विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादित आराजी का रहन, बेचान, दान इकरार, अन्तरण नहीं करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया, जो विधि सम्मत है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के एक पक्षीय आदेश की सर्वप्रथम जानकारी के.सी.सी. लोन लेने हेतु पटवारी हल्का के पास अपनी खातेदारी की जमाबंदी लेने गया तब मालूम हुआ की रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 3 ने स्थगन प्राप्त कर रखा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा बताया गया कारण सद्भाविक होने के कारण अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने योग्य हैं। न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7.हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण संख्या 01, 2 जो वर्तमान अपील में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 04 है की खातेदारी में दर्ज है। जमाबंदी 2071–2074 में विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 01, 2 में दर्ज थी। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को देखा जाता होता है। विवादित आराजी आराजी के अधिकारों का निर्धारण तो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही होगा, परन्तु हस्तगत प्रकरण में धारा 212 के प्रावधानों के तहत् परीक्षण होना है। अधिनियम की धारा 212 के प्रावधानों के तहत् प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय किया जाना होता है जिसकी पुष्टि प्रसतुत विधिक उद्धरण आर.आर.टी. 2014(2)(हाई कोर्ट) पेज 1417 में दिये गये मत से होती है। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 01,2 प्रश्नगत आराजी के अभिलिखित खातेदार है और इस प्रकार से प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थी संख्या 01, 2 के पक्ष में पाये जाते है। अभिलिखित खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबंद नहीं किया जा सकता है। जिसकी पुष्टि आर.आर.टी. 2017(2) पेज 907 पर प्रतिपादित सिद्धान्त से भी होती है। इस प्रकार उपरोक्त प्ररिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2018 को

निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभयपक्षगण को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, पुनः अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करें।

8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ का आदेश दिनांक 11.05.2018 को निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को जवाब प्रार्थना पत्र, साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण बिन्दू क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

27/12/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. आदेश आज दिनाक 27.12.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

27/12/19

(बी.एल.मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर